राज्य स्वास्थ्य अभिकरण
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अध्यक्षता में दिनांक– 19 सितम्बर 2019 को 6 बजे आहुत कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2019–20 / 766 दिनांकः– 19.09.2019

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण–

1. प्रशासनिक अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. वित्त प्रबंधक 01 व 02, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी।

उक्त बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

1. कार्यकारिणी समिति की दिनांक 28 अगस्त 2019 को आहुत बैठक के जारी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध एम0पी0मेमोरियल हॉस्पिटल, रामनगर रोड, नियर सिविल लाइन, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 551 दिनांक 31 अगस्त 2019 के कम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

   (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

3. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध जसपुर मैट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 557 दिनांक 02 सितम्बर 2019 के कम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के

Scanned by CamScanner

सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

4. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यूरोट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैंड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/569 दिनांक 02 सितम्बर 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

5. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध आरोग्यम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एन0एच0–73, करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, जनपद हरिद्वार को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/578 दिनांक 03 सितम्बर 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

6. बैठक में State Anti-Fraud Unit (SAFU) द्वारा Complete Medical Institute, हरिद्वार, के क्लेम्स का विस्तृत परीक्षण करने के उपरांत हॉस्पिटल के 181 क्लेम्स को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो स्वीकृत किया गया है। SAFU की उक्त आख्या में शेष 46 AKI केसेस का पुनः विस्तृत परीक्षण 01 सप्ताह में कर लिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस हॉस्पिटल के प्रारम्भ से लेकर अभी तक के क्लेम्स का विस्तृत ऑडिट किया जाये। हॉस्पिटल का हॉस्पिटल ऑडिट भी पृथक से कराया जाये। उपरोक्त दोनों ऑडिट किये जाने की कार्यवाही 01 सप्ताह में पूर्ण कर ली जाये। **(कार्यवाही– SAFU)**

7. Quick claim review, monitoring & audit के संबंध में निदेशक–प्रशासन द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। दिनांक 23 सितम्बर 2019 से यह व्यवस्था प्रारम्भ कर ली जाये। तद्नुसार निदेशक–प्रशासन आदेश निर्गत करें। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्वास्थ्य अभिकरण

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0/कार्यवृत्त/2019–20/ तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपिः

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. महानिदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. निदेशक, वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
7. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
8. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को उक्त कार्यवृत्त वेबसाईट में अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9.09.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
राज्य स्वास्थ्य अभिकरण

अनुमोदित।

(दिलीप कुमार कोटिया)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
राज्य स्वास्थ्य अभिकरण

Scanned by CamScanner